



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 30-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017 (MAGHA 28, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2017

संख्या 11/16/2016-4श्रम.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, अधिसूचना संख्या 11/16/2016-4 श्रम, दिनांक 16 मार्च, 2016 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब कारखाना नियम, 1952 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब कारखाना (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब कारखाना नियम, 1952 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2-क में, "किसी व्यक्ति की सक्षमता का प्रमाण-पत्र देने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप" में "पदीय मोहर" शब्दों के बाद, ", ई-मेल आइ.डी" चिह्न तथा शब्द जोड़े जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 3 में, खण्ड (क) में, "नाली" शब्द के बाद "मलजल" शब्द रखा जाएगा।
4. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"(3) यदि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत प्रारूप 1-ख में स्थायित्व प्रमाण-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा।"
5. उक्त नियम में, नियम 6 में, खण्ड (i) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"परन्तु यह और कि कर्मकारों की कोई भी संख्या नियोजित करने वाले सभी कारखानों की दशा में, मुख्य निरीक्षक, जहाँ उसकी संतुष्टि हो जाती है कि कार्य परिस्थितियाँ युक्तियुक्त रूप से अच्छी है, (जहाँ कोई भी वाष्प/धुआँ अथवा खतरनाक गैस निकल रही है तथा जहाँ वातानुकूलित/शीतलन सुविधाएं उपबन्ध करवाई गई हैं), इस उप-नियम के उपबन्ध में ऐसे कारखानों को छूट दे सकता है।"
6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप नियम (i) में,-
(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ":" प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा।”

7. उक्त नियमों में, नियम 8 में,-

- (i) उप-नियम (1) में, “एक साल या पाँच साल” शब्दों के बाद “या दस साल” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उप-नियम (1) में, परन्तुक में, “पाँच साल” शब्दों के बाद “या दस साल”, और “पाँच गुना” शब्दों के बाद “या दस गुना, जैसी भी स्थिति हो,” शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;
- (iii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“पंजीकरण फीस अनुसूची

वर्ष के दौरान किसी दिन को नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या

स्थापित अश्व शक्ति की मात्रा (अधिकतम अश्व शक्ति)	20 तक	21 से 40	41 से 150	151 से 250	251 से 500	501 से 1000	1001 से 2000	2001 से 3000	3001 और उससे ऊपर
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
शून्य	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500
10 तक	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000
10 से अधिक किन्तु 50 से अधिक नहीं	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500
50 से अधिक किन्तु 100 से अधिक नहीं	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000
100 से अधिक किन्तु 500 से अधिक नहीं	7500	15000	22500	30000	37500	45000	52500	60000	67500
500 से अधिक किन्तु 1000 से अधिक नहीं	9000	18000	27000	36000	45000	54000	63000	72000	81000
1000 से अधिक किन्तु 2000 से अधिक नहीं	10500	21000	31500	42000	52500	63000	73500	84000	94500
2000 से अधिक	12000	24000	36000	48000	60000	72000	84000	96000	108000”।

8. उक्त नियमों में, नियम 9 में,-

(क) उप नियम (2) में,

- (i) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर “:” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के संशोधन हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा;” तथा

- (ख) उप-नियम (3) में, "तीस रुपये" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
9. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप नियम (2) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-
"यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा।"
10. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप नियम (1) में,-
(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ":" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-
"परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के अन्तरण हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है तो उक्त स्वीकृति प्रदान की गई समझी जाएगी।"
11. उक्त नियम में, नियम 13 में, -
(i) "तीस रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ रुपए." शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) अन्त में, विद्यमान चिह्न "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
(iii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
"परन्तु यदि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत द्वितीय अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो द्वितीय अनुज्ञप्ति प्रदान की गई समझी जाएगी।"
12. उक्त नियमों में, नियम 14 में, उप-नियम (1) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"अथवा मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा, चण्डीगढ़ के पक्ष में ई-भुगतान किया जा सकता है।"
13. उक्त नियमों में, नियम 16 में, "पंजाब श्रम सेवा (श्रेणी I तथा II) नियम, 1955" शब्दों कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, "हरियाणा श्रम विभाग ग्रुप क सेवा नियम, 1996 तथा हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1987" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
14. उक्त नियमों में, नियम 16-क में, खण्ड (क) में, द्वितीय पंक्ति में "फोटोग्राफ" शब्द के बाद, "वीडियो रिकार्ड," शब्द तथा चिह्न रखा जाएगा।
15. उक्त नियमों में नियम 17 में,-
(i) उप-नियम (1) में, "कर सकता है" शब्दों के स्थान पर, "करेगा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) उप-नियम (2) में, खण्ड (क) में,-
(i) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
तथा
(ख) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-
"परन्तु असाधारण रूप से योग्य व्यक्तियों की दशा में, जहाँ बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान सम्भव नहीं है, वहाँ प्रमाणित सर्जन द्वारा यथा अनुशंसित किसी उंगली/हथेली का निशान पर्णिका अथवा प्रतिपर्णिका पर लिया जाएगा।"
16. उक्त नियमों में, नियम 41 में, खण्ड (ख) के बाद, "(ख)" कोष्ठक तथा अक्षर के स्थान पर, "(ग)" कोष्ठक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा।
17. उक्त नियमों में, नियम 67 में,-
(i) अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-
"इस प्रकार की द्रवचालित सीढ़ियाँ, जहां तक कि ये कर्मकार को इसके प्लेटफार्म से फिसलने/गिरने की सम्भावनाओं को भी रोका जा सके, इस प्रयोजन के लिए भी उपयोग की जा सकती हैं";
(ii) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(iii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"परन्तु सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका परीक्षण किया गया हो तथा सभी पूर्जों की अच्छी प्रकार से जाँच की गई हो।"
18. उक्त नियमों में, नियम 72 में, उप-नियम (3) में "धुलाई स्थान" शब्दों के बाद, "तथा शौचघर" शब्द रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमों में, नियम 74 में, उप-नियम (3) में, परन्तुक में, "पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1954 (1955 का पंजाब अधिनियम, XIV)" हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का हरियाणा अधिनियम 22)" शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
20. उक्त नियमों में, नियम 75 में, उप-नियम (2) में, द्वितीय परन्तुक में, "पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1954 (1955 का पंजाब अधिनियम XIV)" शब्दों, चिह्न, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का हरियाणा अधिनियम 22)" शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
21. उक्त नियमों में, नियम 76 में, उप-धारा (1) में, परन्तुक में, पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1954 "(1955 का पंजाब अधिनियम XIV)" शब्दों, चिह्न, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का हरियाणा अधिनियम 22)" शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
22. उक्त नियमों में, 95 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "(2) यदि कोई कर्मकार अपनी अवकाश पुस्तिका गुम कर देता है, तो प्रबन्धक उसको एक सप्ताह के भीतर अपने रिकार्ड से सम्यक् रूप से पूर्ण करते हुए मुफ्त में दूसरी प्रति उपलब्ध करवाएगा।"
23. उक्त नियमों में, नियम 103 में,
 (i) उप-नियम (1) में, "विशेष संदेशवाहक या टेलिग्राम" शब्दों के स्थान पर, "विशेष संदेशवाहक, ई-मेल या फ़ैक्स" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
 (ii) उप-नियम (4) में, प्रथम परन्तुक में, "विशेष संदेशवाहक या टेलिग्राम" शब्दों के स्थान पर, "विशेष संदेशवाहक, ई-मेल या फ़ैक्स" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
24. उक्त नियमों में, नियम 105 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "(3) अपीलकर्ता को उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत ज्ञापन में कथित करना होगा कि वह किसी पंजीकृत औद्योगिक संघ का सदस्य है। अपीलकर्ता ऐसी औद्योगिक संघ का नाम तथा पता वर्णित करेगा।"
25. उक्त नियमों में, नियम 108 में, "पंजीकृत कवर" शब्दों के स्थान पर "पंजीकृत कवर या ई-मेल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा।
26. उक्त नियमों में, नियम 110 में, उप-नियम (1) में, परन्तुक में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-
 "उपरिस्थिति रिकार्ड को डिजिटल रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकता है।"

दिनांक 6 जनवरी, 2017

विजय वर्धन,
 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 श्रम विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
 LABOUR DEPARTMENT**

Notification

The 17th February, 2017

No.11/16/2016-4 Lab.— In exercise of the powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), and with reference to the Haryana Government, Labour & Employment Department, notification No.11/16/2016-4 Lab, dated 16th March, 2016, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Factory Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Factory (Haryana Amendment) Rules, 2016.
2. In the Punjab Factories Rules, 1952 (hereinafter called the said rules), in rule 2A, in the "FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF COMPETENCY TO A PERSON", after the words "Official seal", the words "Email I.D." shall be added in the end.
3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (a), after the word "drains", the word "sewerage" shall be inserted.
4. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added; namely:-
 "(3) If on an application for the acceptance of the stability certificate in form 1B, submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed accepted."

5. In the said rules, in rule 6, for the second proviso to sub-rule (i), the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided further that in case of all the factories employing any numbers of workers, the Chief Inspector may, where he is satisfied that the conditions of work are reasonably good, (where no fumes/smoke or dangerous vapours are produced and where the facilities of air conditioning/cooling is provided) exempt such factories from the provision of this sub-rule.”

6. In the said rules, in rule 7, in sub-rule(1), -

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
- (ii) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that if on an application for the grant of Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed approved.”

7. In the said rules, in rule 8,-

- (i) in sub-rule (1), after the words “one year or five years” the words “or ten years” shall be inserted;
- (ii) in the proviso of sub-rule (1), after the words “five years” the words “or ten years” and after the words “five times” the words “or ten times as the case may be” shall be inserted;
- (iii) in sub-rule (3), for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“ REGISTRATION FEE

SCHEDULE

Maximum number of workers to be employed on any day during the year.

Quantity of H.P. Installed (Maximum H.P.)	Up to 20	From 21 to 40	From 41 to 150	From 151 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 2000	From 2001 to 3000	From 3001 & above
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Nil	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500
Upto 10	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000
Above 10 but not above 50	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500
Above 50 but not above 100	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000
Above 100 but not above 500	7500	15000	22500	30000	37500	45000	52500	60000	67500
Above 500 but not above 1000	9000	18000	27000	36000	45000	54000	63000	72000	81000
Above 1000 but not above 2000	10500	21000	31500	42000	52500	63000	73500	84000	94500
Above 2000	12000	24000	36000	48000	60000	72000	84000	96000	108000”

8. In the said rules, in rule 9,-

- (a) in sub-rule (2),
 - (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted namely:-

“Provided that if on an application for the amendment of the Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed approved.”

- (b) in sub-rule (3), for the word “thirty”, the word, “three hundred” shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 10, in sub-rule(2), after the word and sign “license.”, the following words and signs shall be added at the end, namely:-

“If on an application for the renewal of Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed approved.”

10. In the said rules, in rule 11, in sub-rule(2),-
- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “.” shall be substituted;
 - (ii) after sub-rules (2), the following proviso shall be inserted namely:-
 “Provided that if on an application for the transfer of the Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said permission shall be deemed granted.”.
11. In the said rules, in rule 13,-
- (i) for the word and sign “thirty.”, the words and sign “three hundred.”, shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:-
 “Provided that if on an application for the grant of duplicate Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt; the duplicate licence shall be deemed granted.”.
12. In the said rules, in rule 14, in sub-rule(1), after the words and sign “Factories Act, 1948” the words and sign “or e-payment can be made in the favour of Chief Inspector of Factories, Haryana, Chandigarh” shall be inserted.
13. In the said rules, in rule 16, for the words and signs “Punjab Labour Service (Class I and II), Rules, 1955”, the words and signs “Haryana Labour Department (Group A) Service Rules, 1996 and Haryana Labour Department (Group B) Service Rules, 1987” shall be substituted.
14. In the said rules, in rule 16A, in clause (a), after the word and sign “photograph,” the word and sign “video record,” shall be inserted.
15. In the said rules, in rule 17,-
- (i) in sub-rule (1), for the word “may”, the word “shall” shall be substituted;
 - (ii) In sub-rule 2, in clause (a),-
 - (a) for the sign “.” exiting at the end, the sign “.” shall be substituted;
 - (b) after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided that in case of differently abled persons where left hand thumb impression is not possible, the impression of any finger/palm as recommended by the Certifying Surgeon shall be taken on the foil and counterfoil.”.
16. In the said rules, in the rule 41, after clause (b), for the signs and word “(b)” the signs and word “(c)” shall be substituted.
17. In the said rules, in rule 67,-
- (i) after the words “resting on the floor” the words “Hydraulic ladders of such type so as it would prevent the worker from the chances of slip/falling from its platform may also be used for this purpose” shall be inserted;
 - (ii) for the sign “.” existing at the end, the sign “.” shall be substituted;
 the following proviso shall be added, namely:-
 “Provided that hydraulic ladders and all the parts have been thoroughly examined by the Competent Person.”.
18. In the said rules, in the rule 72, in sub-rule (3) after the words “washing places”, the words “and washrooms” shall be inserted.
19. In the said rules, in the rule 74, in the proviso to sub-rule (3), for the words and signs “Punjab Cooperative Societies Act, 1954 (Punjab Act XIV of 1955)” the words and signs “the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984)” shall be substituted.
20. In the said rules, in rule 75, in 2nd proviso to sub-rule (2), for the words and signs “Punjab Cooperative Societies Act, 1954 (Punjab Act XIV of 1955)”, the words and signs “the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984)” shall be substituted.
21. In the said rules, in the rule 76, in the proviso to sub-rule (1), for the words and signs “Punjab Cooperative Societies Act, 1954 (Punjab Act XIV of 1955)” the words and signs “the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984)” shall be substituted.
22. In the said rules, in the rule 95, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 “(2). If a worker loses his leave book, the manager shall provide him with another copy free of cost duly completed from his record, within one week.”

23. In the said rules, rules in 103,-
- (i) in sub-rule (1), for the words "special messenger or telegram", the words and sign "special messenger, e-mail or fax" shall be substituted;
 - (ii) in 1st proviso to sub rule (4), for the words "special messenger or telegram", the words and sign "special messenger, e-mail or fax" shall be substituted.
24. In the said rules, in rule 105, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(3) The appellant shall state in the memorandum presented under sub-rule (1), whether he is a member of any Registered Industrial Association. The appellant shall mention the name and address of such Industrial Association."
25. In the said rules, in rule 108, after the words "registered cover", the words and sign "or e-mail" shall be inserted.
26. In the said rules, in the rule 110, in the proviso to sub-rule (1), after the words and sign "need not be maintained.", the words and sign "The attendance record may also be maintained in digital form." shall be added.

The 6th January, 2017

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.